न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या	**जीसीएमएस संख्या**	**दायर दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
13/2024	**2024/275**	**29.01.2024**	**06.08.2025**

शीर्षक

भैरू पुत्र श्री महादेव जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान **वादी**

बनाम

1. ख्याली पुत्र सेडू जाति मीणा निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
2. पप्पूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी House No-00, Colony-RAMPUR, Bansur, Distt-Alwar, Rajasthan– 301416.
3. पूरण पुत्र महादेव जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
4. प्रहलाद पुत्र महादेव जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
5. फूलचन्द पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
6. बलबीर सिहं मीणा पुत्र बंशी राम मीणा जाति मीणा निवासी House No- 00, Colony-Karwas, Kotputli, Distt-Jaipur, Rajasthan- 303108
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा,

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री दिलीप सिंह शेखावत
प्रतिवादी सं. 01 श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं रतिराम मीणा
प्रतिवादी सं. 02 लगायत 06 श्री दिनेश दायमा

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 06.08.2025

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 183/0.03, 184/0.49, 185/3.18, 199/1.01 कुल किता 04 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम सितोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजीयात के वादी, व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 सहखातेदार काश्तकार काबिज है जिस मे खसरा 183/0.03, 184/0.49. 185/3.18, 199/1.01 मे वादी का हिस्सा 18/157 है तथा उक्त खसरा नम्बरान के शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 6 काबिज काश्त है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। वादी, व प्रतीवादीगण संख्या 1 लगायत 6 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का वादी के हिस्से की भूमी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है। वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है एवं आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. उक्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते है, पेड वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने, आराजी में तारबन्दी करने, निर्माण कार्य करने, बिना विधिवत तकास्मा कराये आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का वादी के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना, तात्लुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है तथा बिना विधिवत बंटवारा कराये प्रत्येक खातेदार का भूमि की प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 बिना विधिवत तकास्मा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को, भू माफीयाओं को बेचान करने, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने, आराजी मे तारबन्दी करने, आराजी मे निर्माण कार्य करने, वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादी को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को कई मर्तबा कहा कि राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों के पास चलकर आराजी का विधिवत तकास्मा करवालो तथा अपना–अपना खाता जुदागाना करवा लो तथा वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग मे मजाहमत पैदा ना करो, अराजी मे पेड़ वगैरह ना काटो, आराजी मे खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द मत करो, आराजी मे तारबन्दी मत करो, आराजी मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य मत करो, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करो लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 नहीं मान रहे है तथा गत सप्ताह से आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को, भू माफीयाओं को बेचान करने, आराजी मे तारबन्दी करने, निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते है, साफ इनकारी है। इसलिए माननीय न्यायालय मे दावा पेश करना लाजिमी आया। यही बिनाय दावा है। बिनाय दावा मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायलय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है।

3. अतः वादी दावेदारी है कि एक किता डिकी तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतीवादीगण इस अमर की सदिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 183/0.03, 184/0.49, 185/3.18, 199/1.01 कुल किता 04 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम सितोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है का वादी, व प्रतीवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर रास्ते का उचित निर्धारण करते हुये विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी को मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार आराजी का बटा नम्बर डालकर तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे तथा अलग से पासबुक जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 183/0.03, 184/0.49, 185/3.18, 199/1.01 कुल किता 04 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम सितोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान मे प्रतीवादीगण संख्या 1 लगायत 6 वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा ना करें। वादी को उसके हिस्से की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग, कब्जा–काश्त करने देवे। आराजी मे पेड़ वगैरह नही काटे, आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना किन्ही दीगर लोगों को रहन बैय बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल या ट्रांसफर ना करे । आराजी मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करे, खुर्द– बुर्द ना करे, आराजी मे खड्डे वगैरह ना खोदे, आराजी की किस्म में परिर्वतन ना करे, तारबन्दी ना करें, वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल ना करे ना ही ऐसी कोई धमकी देवे। प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार पावटा को पाबन्द किया जावे कि वे हाल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे, उसमे किसी प्रकार की तब्दीली ना करें। ना ऐसा प्रतिवादी स्वयं करे ना अपने किसी नौकर चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करवावें सदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें। या अन्य जो दादरसी न्यायहित मे फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा बादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 से दिलवाया जावे।

5. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.09.2024 वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 15.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को निर्णय डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। जिस प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने कोई आपत्ति जाहिर नही की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर मूल्यांकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। इसलिए वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6. अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 183/0.03, 184/0.49, 185/3.18, 199/1.01 कुल किता 04 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम सितोपसिंहपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्रसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	ख्याली पुत्र सेडू हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा.देह **खातेदार राहिन ओरियंटल बैंक आफ कामर्स शाखा मंढा**	**183/0.03, 184/1/0.04, 199/1/0.40 हैक्ट0 भूमि।**
2	**बलबीर सिंह मीणा पुत्र बंशीराम मीणा हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. करवास कोटपूतली खातेदार**	**185/1/0.25, 184/2/0.25 हैक्ट0 भूमि।**
3	**फूलचन्द पुत्र नेतराम हि. सम्पूर्ण जाति जाट राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पांचूडाला**	**184/3/0.20, 185/2/1.42 हैक्ट0 भूमि।**

4	**पूरण पुत्र महादेव हि. 1/3 कौम जाट राहिन हि. 81/324 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पांचूडाला** **प्रहलाद पुत्र महादेव हि. 1/3 कौम जाट राहिन हि. 81/324 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पावटा** **भैरू पुत्र महादेव हि. 1/3 कौम जाट सा.देह खातेदार**	**199/3/0.11, 185/3/1.51 हैक्ट0 भूमि।**
5	**कमलेश मीना पुत्र रामधन मीणा** हि. सम्पूर्ण जाति **मीणा सा. भांगला की ढाणी बडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा खातेदार**	**199/2/0.50 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2024	2024/275	29.01.2024	06.08.2025

शीर्षक

भैरू पुत्र श्री महादेव जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

वादी

बनाम

1. ख्याली पुत्र सेडू जाति मीणा निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
2. पप्पूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी House No-00, Colony-RAMPUR, Bansur, Distt-Alwar, Rajasthan– 301416.
3. पूरण पुत्र महादेव जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
4. प्रहलाद पुत्र महादेव जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
5. फूलचन्द पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी सिंतोपसिंहपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान
6. बलबीर सिहं मीणा पुत्र बंशी राम मीणा जाति मीणा निवासी House No- 00, Colony-Karwas, Kotputli, Distt-Jaipur, Rajasthan- 303108
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा,

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री दिलीप सिंह शेखावत
प्रतिवादी सं. 01 श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं रतिराम मीणा
प्रतिवादी सं. 02 लगायत 06 श्री दिनेश दायमा

<u>दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 183/0.03, 184/0.49, 185/3.18, 199/1.01 कुल किता 04 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम सितोपसिंहपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

कसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**ख्याली पुत्र सेडू हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन ओरियंटल बैंक आफ कामर्स शाखा मंढा**	**183/0.03, 184/1/0.04, 199/1/0.40 हैक्ट0 भूमि।**
2	**बलबीर सिंह मीणा पुत्र बंशीराम मीणा हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. करवास कोटपूतली खातेदार**	**185/1/0.25, 184/2/0.25 हैक्ट0 भूमि।**
3	**फूलचन्द पुत्र नेतराम हि. सम्पूर्ण जाति जाट राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पांचूडाला**	**184/3/0.20, 185/2/1.42 हैक्ट0 भूमि।**

4	**पूरण पुत्र महादेव हि. 1/3 कौम जाट राहिन हि. 81/324 राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा पांचूडाला** **प्रहलाद पुत्र महादेव हि. 1/3 कौम जाट राहिन हि. 81/324 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पावटा** **भैरू पुत्र महादेव हि. 1/3 कौम जाट सा.देह खातेदार**	**199/3/0.11, 185/3/1.51 हैक्ट0 भूमि।**
5	**कमलेश मीना पुत्र रामधन मीणा हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. भांगला की ढाणी बडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा खातेदार**	**199/2/0.50 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

आज दिनांक 06.08.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(कपिल कुमार, **RAS**)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ………. रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	